

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :- 2022 / 167

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री इंमीचन्द गोदारा ने पत्रावली नॉट प्रेस करने का निवेदन किया कि वह पत्रावली आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः पत्रावली कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः वादी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नॉट प्रेस के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।